" लोक सेवा प्रबंधन विभाग की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य"

(सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) (i) के अंतर्गत)

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

लोक सेवा प्रबंधन विभाग राज्य शासन का एक विभाग है। विभाग के कार्यों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 का क्रियान्वयन एवं जन शिकायत निवारण संबंधी मुख्य कार्य हैं। विभाग में कार्य संपादन हेतु वर्तमान में एक प्रमुख सचिव, एक उप सचिव, एक अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी पदस्थ हैं। विभाग के दो कक्ष हैं। कक्षों में संपादित होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

कक्ष क्रमांक-1 के कार्य:-

मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत योजना का संचालन, संपूर्ण मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में लोक सेवा केन्द्रों का संचालन, विभागकीय योजनाओं हेतु बजट आवंटन एवं नियंत्रण संबंधी कार्य एवं विभिन्न विभाग द्वारा प्रदाय की जा रही सेवाओं का राजपत्र में प्रकाशन संबंधी कार्य।

कक्ष क्रमांक-2 के कार्य:-

विभिन्न स्तरों से प्राप्त जन शिकायतों का निराकरण संबंधी कार्य।

विभाग से संबद्ध अधीन आने वाली स्वशासी संस्थाएं।

- मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा अभिकरण।
- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान।